

समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

-: आदेश :-

सरकार के संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11/आ0प्र0, दिनांक-06.06.2016 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102-जागरूकता तथा क्षमता निर्माण विपत्र कोड-पी-2245808000102 मांग संख्या-39, राज्य योजना स्कीम कोड-DIS-5332 विषय शीर्ष-26 01 विज्ञापन और प्रकाशन में नो0-2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/पदाधिकारी को आवंटित किया जाता है :-

क्र0	उपावंटन प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल उपावंटित राशि
1	2	3	4	5
01	जिला नजारत उपसमाहर्ता, मधेपुरा	-	70,000.00	70,000.00
02	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	-	10,000.00	10,000.00
03	अंचल अधिकारी, सिंदेश्वर	-	10,000.00	10,000.00
04	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	-	10,000.00	10,000.00
05	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	-	10,000.00	10,000.00
06	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	-	10,000.00	10,000.00
07	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	-	10,000.00	10,000.00
08	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	-	10,000.00	10,000.00
09	अंचल अधिकारी, आलमनगर	-	10,000.00	10,000.00
10	अंचल अधिकारी, चौसा	-	10,000.00	10,000.00
11	अंचल अधिकारी, पुरैनी	-	10,000.00	10,000.00
12	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	-	10,000.00	10,000.00
13	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	-	10,000.00	10,000.00
14	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	-	10,000.00	10,000.00
कुल योग-			2,00,000.00	2,00,000.00

(मो0- दो लाख रुपये मात्र)

उपावंटन की शर्तें :-

- (1) इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजना मुख्य बजट शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय, उपशीर्ष-0102-जागरूकता तथा क्षमता निर्माण विपत्र कोड-पी- 2245808000102 मांग संख्या-39, राज्य योजना स्कीम कोड-DIS-5332 विषय शीर्ष-26 01 विज्ञापन और प्रकाशन मद में उपावंटित राशि से विकलनीय होगा।

- (2) यह आवंटन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पत्रांक-744 दिनांक-20.05.2011 एवं विभागीय संकल्प सं०-125 दिनांक-13.01.2012 के आलोक में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह हेतु निर्गत किया जा रहा है।
- (3) उपावंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।
- (4) आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष / उपमुख्य शीर्ष - लघु शीर्ष/उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष/उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए, अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- (5) उपरोक्त उपावंटन वित्त विभागीय ज्ञापांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- (6) यदि उपरोक्त उपावंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15-03-2017 तक निश्चित रूप से कर दिया जाय, अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

इसकी सूचना संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-333/आ०प्र०, मधेपुरा, दिनांक-10/6/2016

- प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याार्थ प्रेषित।
 प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त, कोशी प्रेसंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।
10/6/16